

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 492 / 14-1, दिनांक, अमरोहा, अगस्त 13 2018,
सेवा

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :-

जनपद अमरोहा, में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (एन.एच-24) किमी० किमी० 126 चैनेज 125.732 की बांयी पटरी पर ग्राम नारंगपुर तहसील व जिला अमरोहा खाता संख्या 41 में मै० नयारा एनर्जी लिमिटेड पूर्व एस्सार ऑयल लि० द्वारा एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (एन.एच-24) किमी० किमी० 126 चैनेज 125.732 की बांयी पटरी पर ग्राम नारंगपुर तहसील व जिला अमरोहा खाता संख्या 41 में मै० नयारा एनर्जी लिमिटेड पूर्व एस्सार ऑयल लि० द्वारा एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव मय इंटरनेट फिडिंग सहित प्रभाग को प्राप्त हुआ है।

अतः जनपद अमरोहा, में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (एन.एच-24) किमी० किमी० 126 चैनेज 125.732 की बांयी पटरी पर ग्राम नारंगपुर तहसील व जिला अमरोहा खाता संख्या 41 में मै० नयारा एनर्जी लिमिटेड पूर्व एस्सार ऑयल लि० द्वारा एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव तैयार कराकर प्रस्ताव भारत सरकार की बेवसाइट पर फिडिंग करते हुए प्राप्ति रसीद के साथ 04 प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।